25/11/2021

प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021

"प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021" के अंतर्गत न्यायालय प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पत्रावली पंचायत समिति, भूपालसागर की ग्राम पंचायत, कानाखेड़ा में आयोजित शिविर दिनांक 25/11/2021 को पेश हुई प्रार्थी ने स्वयं की ग्राम गुलाबपुरा में स्थित निजी खाते की कुल किता 9 रकबा 2.26 है. भूमियों के सीमा निशानात नहीं होने व पड़ौसियों से सीमा विवाद होने के कारण शिविर पत्थरगढ़ी की जाने का निवेदन किया। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति की जानकारी लेने पर बताया कि मौके पर उक्त भूमियों के सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी की जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भूपालसागर को 500/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुलाबपुरा की आ.सं. 532 रकबा 0.63 है., आ.सं. 533 रकबा 0.04 है., आ.सं. 534 रकबा 0.05 है., आ.सं. 535 रकबा 0.09 है., आ.सं. 536 रकबा 0.47 है., आ.सं. 537 रकबा 0.28 है., आ.सं. 538 रकबा 0.18 है., आ.सं. 545 रकबा 0.45 है., आ.सं. 546 रकबा 0.27 है. किता 9 रकबा 2.26 है. भूमियों पर मौके पर कोई विवाद न हो, कोई फसल खड़ी नहीं हो एवं अन्य किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं हो, की जाँच करने के उपरांत ही [illegible] में उभयपक्ष को सूचित कर [illegible] कर परन्तु अपने नेतृत्व में सी[illegible] पत्थरगढ़ी की कार्यवाही [illegible] नंबर से कम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.26 12:17:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रशासन गांवो के संग
अभियान-2021

क्रमांक/राजस्व/प्र0गां0सं0अ0 2021/प.(31-2021) दिनांक :-25.11.2021

निमित,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. किशनलाल पुत्र कालु कुम्हार नि. गुलाबपुरा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ।

प्रार्थी

बनाम

1. कालु पुत्र छोगा लाल भील नि. गुलाबपुरा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र संख्या :- 31/2021

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुलाबपुरा पटवार हल्का कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर में स्थित आ0सं0 532 रकबा 0.63 है., आ0सं0 533 रकबा 0.04 है., आ0सं0 534 रकबा 0.05 है., आ0सं0 535 रकबा 0.09 है., आ0सं 536 रकबा 0.47 है. आ0सं0 537 रकबा 0.28 है., आ0सं0 538 रकबा 0.18 है., आ0सं0 545 रकबा 0.25 है., आ0सं0 546 रकबा 0.27 कुल किता 9 कुल रकबा 2.26 है. की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो, एवं अन्य किसी न्यायालय मे कोई वाद लम्बित/विचाराधिन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ़

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौडगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.26 12:17:56 IST
Reason: SelfAttested